REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-06102023-249203 CG-DL-E-06102023-249203

> असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 253] No. 253]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 3, 2023/आश्विन 11, 1945 NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 3, 2023/ASVINA 11, 1945

> वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) (व्यापार उपचार महानिदेशालय)

> > जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2023

मामला संख्याः एडी (एसएसआर) - 07/2023

विषय: चीन जन.गण., कोरिया गण. और थाईलैंड में मूलतः अथवा वहां से निर्यातित "एल्यूमीनियम मिश्र धातु रोड व्हील" के आयात के संबध में द्वितीय निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत।

फा. संख्या 07/13/2023-डीजीटीआर - कोसी मिंडा एल्यूमिनियम कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, मैक्सियन व्हील्स एल्यूमिनियम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मिंडा कोसी एल्यूमीनियम व्हील प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स स्टील स्ट्रिप्स व्हील्स लिमिटेड (इसके बाद 'आवेदकों' के रूप में संदर्भित) द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) और सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित किए गए लेखों पर पाटन रोधी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन और संग्रह और 1995, समय-समय पर संशोधित (इसके बाद 'एडी नियम' के रूप में संदर्भित), के अनुसार चीन जन.गण., कोरिया गण. और थाईलैंड (बाद में 'संबद्ध देशों' के रूप में संदर्भित) से उत्पन्न या निर्यात किए गए "एल्यूमीनियम मिश्र धातु रोड व्हील" (इसके बाद 'संबंधित सामान' या 'विचाराधीन उत्पाद' के रूप में संदर्भित) के आयात

6230 GI/2023

पर लगाए गए पाटन रोधी शुल्क को लगातार लागू करने के लिए पाटन रोधी जांच की दूसरी निर्णायक समीक्षा शुरू करने की मांग की है।

2. अधिनियम की धारा 9ए(5) और एडी नियमों के नियम 23(1बी) के अनुसार लगाए गए पाटन रोधी शुल्क जब तक कि पहले रद्द नहीं किया जाता, ऐसी तारीख से पांच साल की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। प्राधिकरण को पाटन रोधी शुल्क जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने और यह आकलन करने की आवश्यकता है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

<u>क. पृष्ठभूमि</u>

3. संबंधित देशों से विषय वस्तुओं के आयात से संबंधित मूल जांच प्राधिकरण द्वारा दिनांक 10.12.2012 की अधिसूचना संख्या 14/7/2012-डीजीएडी के तहत शुरू की गई थी। जांच के बाद प्राधिकरण ने दिनांक 09.06.2014 की अधिसूचना संख्या 14/7/2012-डीजीएडी के माध्यम से अंतिम निष्कर्ष जारी किए जिसमें निश्चित पाटन रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई।

4. उक्त सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 22.05.2015 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 21/2015 - सीमा शुल्क (एडीडी) के तहत चीन जन.गण कोरिया गण. और थाईलैंड से उत्पन्न या निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के आयात पर एक निश्चित पाटन रोधी शुल्क लगाया गया था।

5. लागू पाटन रोधी शुल्क की समाप्ति से पहले प्राधिकरण ने दिनांक 10.08.2018 की अधिसूचना संख्या 7/31/2018-डीजीटीआर के तहत एक निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की और दिनांक 29.03.2019 के अंतिम निष्कर्षों के तहत पाटन शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की जिसे बाद में केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया था और दिनांक 09.04.2019 की अधिसूचना संख्या 17/2019 के माध्यम से शुल्क जारी रखा गया था।

6. इसके बाद प्राधिकरण ने दिनांक 01.09.2021 की अधिसूचना संख्या 7/12/2021-डीजीटीआर के माध्यम से पाटन रोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा शुरू की और दिनांक 30.08.2022 के अंतिम निष्कर्षों के तहत कुछ निर्यातकों पर लगाए गए पाटन रोधी शुल्क को बढ़ाने की सिफारिश की। केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 28.11.2022 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 30/2022 - सीमा शुल्क (एडीडी) के माध्यम से सिफारिशों को स्वीकार किया गया था। विशेष रूप से उपरोक्त कर्तव्य वर्तमान में 08.04.2024 तक लागू हैं।

<u>ख. संबद्ध देश</u>

7. आवेदकों ने चीन पीआर, कोरिया आरपी और थाईलैंड से विषय वस्तुओं के आयात के खिलाफ एंटी-डंपिंग शुल्क जारी रखने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया है। हालांकि, कोरिया आरपी और थाईलैंड से आयात किए जाने वाले सामानों के संबंध में लागू शुल्कों की समाप्ति या निरसन की स्थिति में घरेलू उद्योग को डंपिंग और नुकसान की पुनरावृत्ति या जारी रखने की संभावना के बारे में आवेदन में अपर्याप्त प्रथम दृष्टया सबूत थे।

8. इसलिए, वर्तमान जांच के लिए विषय देश चीन पीआर है (इसके बाद "विषय देश" के रूप में संदर्भित)।

<u>ग. विचाराधीन उत्पाद</u>

9. विचाराधीन उत्पाद मूल जांच के समान है यानि "एल्यूमीनियम मिश्र धातु सड़क पहिया" मूल जांच के तहत परिभाषित उत्पाद निम्नानुसार था-

"कास्ट एल्यूमीनियम मिश्र धातु पहियों या एल्यूमीनियम मिश्र धातु सड़क पहियों ("एआरडब्ल्यू") का उपयोग मोटर वाहनों में किया जाता है चाहे सामान के साथ जुड़ा हुआ हो या नहीं 12 इंच से 24 इंच तक के व्यास में आकार का।

10. वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच होने के नाते विचाराधीन उत्पाद का दायरा वही है जो मूल जांच में परिभाषित किया गया है।

11. विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के अध्याय 87 के तहत सीमा शुल्क उप-शीर्षक संख्या 8708.70 के तहत "सड़क के पहिये और भागों और सहायक उपकरण" के विवरण के तहत वर्गीकृत किया गया है। जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा दावा किया गया है विषय वस्तुओं को विभिन्न सीमा शुल्क वर्गीकरणों जैसे 87087000, 87082900, 87089900, 87149290, 87149990, 87089400 आदि के तहत भी आयात किया जाता है। हालांकि सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है।

12. वर्तमान जांच के पक्षकार पीयूसी पर अपनी टिप्पणियां प्रदान कर सकते हैं और प्राधिकरण के समक्ष दायर आवेदन के गैर-गोपनीय संस्करण के प्रसार के 15 दिनों के भीतर पीसीएन, यदि कोई हो का प्रस्ताव कर सकते हैं जैसा कि इस जांच शुरूआत अधिसूचना के पैराग्राफ 34 में दर्शाया गया है।

<u>घ. समान वस्तु</u>

13. आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि आवेदक द्वारा उत्पादित और विषय देश से निर्यात की जाने वाली विषय वस्तुओं में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है और दोनों लेख की तरह हैं। आवेदक द्वारा निर्मित और विषय देश से आयातित उत्पाद भौतिक रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया प्रौद्योगिकी, कार्यों के उपयोग, उत्पाद विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण, वितरण विपणन और माल के टैरिफ वर्गीकरण जैसे आवश्यक उत्पाद विशेषताओं के संदर्भ में तुलनीय हैं। उपभोक्ता दोनों का उपयोग कर सकते हैं और परस्पर उपयोग कर रहे हैं। दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से सहायक हैं, और इसलिए, नियमों के तहत 'अनुच्छेद की तरह' माना जाना चाहिए। वर्तमान आवेदन मूल शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता को निर्धारित करने के लिए समीक्षा के लिए है और चूंकि वर्तमान जांच और मूल जांच के लिए विचाराधीन उत्पाद एक ही हैं इसलिए प्रथम दृष्टया यह माना जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विषय वस्तुएं विषय देशों से आयातित विषय वस्तुएं की 'समान वस्तु' हैं।

<u>ड. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति</u>

14. निर्णायक समीक्षा जांच के लिए आवेदन कोसी मिंडा एल्यूमीनियम कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, मैक्सियन व्हील्स एल्यूमीनियम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मिंडा कोसेई एल्यूमीनियम व्हील प्राइवेट लिमिटेड और स्टील स्ट्रिप्स व्हील्स लिमिटेड (आवेदक) द्वारा दायर किया गया है जो विचाराधीन उत्पाद के महत्वपूर्ण उत्पादक हैं। प्राधिकरण नोट करता है कि आवेदकों के पास कुल घरेलू उत्पादन में लगभग 80% हिस्सा है और उन्होंने प्रमाणित किया है कि उन्होंने जांच की अवधि के दौरान विषय वस्तुओं का आयात नहीं किया है।

15. मैक्सियन व्हील्स एल्यूमीनियम इंडिया लिमिटेड चीन में एक निर्माता से संबंधित है, अर्थात्, डोंगफेंग मैक्सियन व्हील्स कंपनी लिमिटेड। आवेदकों ने कहा है कि चीन में संबंधित इकाई ने भारत को निर्यात नहीं किया है। ऊपर उल्लिखित लोगों के अलावा अन्य आवेदक भारत में विषय वस्तुओं के किसी भी निर्यातक या आयातकों से संबंधित नहीं हैं।

16. उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकरण नोट करता है कि आवेदक नियम 2 (बी) के अर्थ के भीतर 'घरेलू उद्योग' का गठन करते हैं और आवेदन नियम 5 (3) के संदर्भ में स्थायित्व के मानदंडों को पूरा करता है।

<u>च. जांच की अवधि</u>

17. वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच के लिए जांच की अवधि (पीओआई) अप्रैल 2022 से मार्च 2023 (12 महीने) है। इसके अलावा जांच के लिए क्षति अवधि 2019-20, 2020-21, 2021-22 और जांच की अवधि है।

<u>छ. प्रक्रिया</u>

18. निर्णायक समीक्षा जांच में अंतिम निष्कर्ष संख्या 7/31/2018-डीजीटीआर दिनांक 29.03.2019 के तहत प्रकाशित अंतिम निष्कर्षों के सभी पहलुओं को शामिल किया जाएगा जिसमें संबंधित देशों में उत्पन्न होने वाली या निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के आयात पर पाटन शुल्क जारी रखने की सिफारिश की गई है।

19. नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान इस समीक्षा में यथोचित परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

<u>ज. पाटन की निरंतरता या पुनरावृत्ति की संभावना</u>

<u>चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य</u>

20. प्राधिकरण की सतत प्रथा चीन जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में मानने की रही है, जब तक कि चीन जन. गण. के उत्पादक यह प्रदर्शित नहीं करते हैं कि पाटन रोधी नियम, 1995 के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार विषय वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री के संबंध में उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति प्रबल है।

21. इसलिए वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करने के उद्देश्य से आवेदकों की उत्पादन लागत के अनुमानों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्माण किया गया है जिसमें उचित लाभ मार्जिन के साथ बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों के साथ विधिवत समायोजित किया गया है।

निर्यात कीमत

22. संबंधित देशों से विषय वस्तुओं के निर्यात मूल्य का अनुमान लेन-देन-वार आयात आंकड़ों पर विचार करके लगाया गया है। शुद्ध निर्यात मूल्य पर पहुंचने के लिए बंदरगाह व्यय, अंतर्देशीय माल ढुलाई, समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, बैंक कमीशन ऋण लागत के कारण मूल्य समायोजन किए गए हैं। इस निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत को सही ठहराने के लिए विषय देशों से विषय वस्तुओं के निर्यात मूल्यों के पर्याप्त सबूत हैं।

पाटन मार्जिन

23. सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य की तुलना एक्स-फैक्ट्री स्तर पर की गई है, जो प्रथम दृष्टया स्थापित करता है कि चीन जन. गण. से आयातित विषय वस्तुओं के संबंध में पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से ऊपर है। चूंकि वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच है प्राधिकरण को यह जांचना अपेक्षित है कि क्या मौजूदा शुल्कों को समाप्त करने से पाटन और क्षति की निरंतरता या पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

<u>झ. क्षति और कारणात्मक संबंध</u>

24. विषय देश से विषय वस्तुओं के आयात पर पाटन रोधी शुल्क के अस्तित्व के बावजूद विषय देश से विषय वस्तुओं के आयात की मात्रा सार्थक रूप से उच्च बनी हुई है। इसे ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण ने मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में पाटन या क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना की जांच की है।

25. आवेदकों ने दावा किया है कि हालांकि घरेलू उद्योग को निरंतर नुकसान नहीं हुआ है लेकिन संबंधित देश में उत्पादकों के पास अत्यधिक क्षमता है जिसका उपयोग पाटन रोधी शुल्क की समाप्ति के मामले में भारत को निर्यात करने के लिए किए जाने की संभावना है। आवेदकों ने आगे प्रस्तुत किया कि अर्जेंटीना, यूरेशियन आर्थिक संघ और यूरोपीय संघ में विषय वस्तुओं के आयात पर व्यापार उपचारात्मक उपायों को लागू करने के कारण विषय देशों में उत्पादकों ने भी बाजार खो दिया है। इसलिए पाटन रोधी शुल्क को जारी नहीं रखने से घरेलू उद्योग को नुकसान होने की संभावना है।

26. इसके अलावा, आवेदकों ने चीन जन.गण. से सकारात्मक पाटन और क्षति मार्जिन, पाटन का इतिहास, संबंधित देशों में उपलब्ध क्षमताओं और क्षमता विस्तार, विषय देशो में घरेलू मांग की कमी, और शुल्कों की समाप्ति की स्थिति में घरेलू उद्योग पर पाटन की पुनरावृत्ति के संभावित प्रभाव जैसे कारकों के आधार पर क्षति की संभावना का दावा किया है। चीन जन.गण से पाटन रोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में पाटन की संभावना और घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचने के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं।

27. तथापि, कोरिया आरपी और थाईलैंड से आयात ति वस्तुओं के संबंध में लागू शुल्कों की समाप्ति अथवा निरसन की स्थिति में घरेलू उद्योग को डंर्पिंग और क्षति की पुनरावृत्ति या निरंतरता की संभावना के संबंध में आवेदन में प्रथम दृष्टया अपर्याप्त साक्ष्य थे।

<u>ञ. निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत</u>

28. घरेलू उद्योग द्वारा विधिवत प्रमाणित आवेदन के आधार पर, और आवेदकों द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर जो चीन पीआर के संबंध में डंपिंग की संभावना और परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचाते हैं, और अधिनियम की नियम धारा 9 ए (5) के अनुसार, नियमों के नियम 23 (1 बी) के साथ पढ़ें, प्राधिकरण इस बात की समीक्षा करने के लिए वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करता है कि क्या मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों की समाप्ति से पाटन जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना है और इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को नुकसान हो सकता है।

<u>ट. सूचना प्रस्तुत करना</u>

29. निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजे जाने वाले सभी पत्र ई-मेल पतों <u>dd11-dgtr@gov.in</u> और <u>dd16-dgtr@gov.in</u> पर तथा उनकी एक प्रति <u>adg14-dgtr@gov.in</u> और <u>adv13-dgtr@gov.in</u> को भेजी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो ।

30. संबंधित देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में अपने दूतावास के माध्यम से संबंधित देश की सरकार और भारत में आयातकों और उपयोगकर्ताओं, जो विषय वस्तुओं से जुड़े होने के लिए जाने जाते हैं, को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे इस जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर सभी प्रासंगिक जानकारी दर्ज कर सकें। ऐसी सभी जानकारी इस जांच शुरूआत अधिसूचना, नियमों और प्राधिकरण द्वारा जारी लागू व्यापार नोटिस द्वारा निर्धारित फॉर्म और तरीके से दायर की जानी चाहिए।

31. कोई अन्य इच्छुक पक्षकार भी इस जांच शुरूआत अधिसूचना, नियमों और प्राधिकरण द्वारा जारी लागू व्यापार नोटिसों द्वारा निर्धारित प्रपत्र और तरीके से इस दीक्षा अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर वर्तमान जांच से संबंधित एक प्रस्तुति दे सकता है।

32. प्राधिकरण के समक्ष कोई भी गोपनीय प्रस्तुति देने वाले किसी भी पक्ष को अन्य इच्छुक पक्षों को इसका एक गैर-गोपनीय संस्करण उपलब्ध कराना आवश्यक है।

33. इच्छुक पार्टियों को आगे निर्देशित किया जाता है कि वे व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट (<u>https://www.dgtr.gov.in/</u>) को नियमित रूप से देखते रहें और जानकारी के साथ-साथ आगे की जाँच पड़ताल प्रक्रियाओं से अवगत रहें।

<u>ठ. समय सीमा</u>

34. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को ईमेल पतों <u>dd11-dgtr@gov.in</u> और <u>dd16-</u> <u>dgtr@gov.in</u> तथा <u>adg14-dgtr@gov.in</u> और <u>adv13-dgtr@gov.in</u> को एक प्रति के साथ प्राधिकारी द्वारा आवेदक के आवेदन के गैर-गोपनीय संस्करण को परिचालित किए जाने अथवा एडी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किए जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर इमेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी एडी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

35. सभी इच्छुक पार्टियों को सलाह दी जाती है कि वे तत्काल मामले में अपनी रुचि (हित की प्रकृति सहित) बताएं और इस अधिसूचना में निर्धारित उपरोक्त समय सीमा के भीतर अपने प्रश्नावली के जवाब दाखिल करें।

36. जहां कोई इच्छुक पक्ष प्रस्तुतियाँ दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगता है, उसे एडी नियम, 1995 के नियम 6(4) के संदर्भ में ऐसे विस्तार के लिए पर्याप्त कारण प्रदर्शित करना होगा और ऐसा अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समय के भीतर आना चाहिए।

<u>ड. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना</u>

37. जहां वर्तमान में कोई पक्षकार गोपनीय अनुरोध करता है या प्राधिकारी के समक्षगोपनीय आधार पर सूचना देता है, वहां उसे एडी नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी की गई संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय अंश साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

38. ऐसे अनुरोध पर प्रत्येक पृष्ठ पर 'गोपनीय' या 'अगोपनीय' स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी को किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा ''अगोपनीय'' सूचना माना जाएगा और प्राधिकारी को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने की स्वतंत्रता होगी। 39. गोपनीय संस्करण में वह सभी जानकारी शामिल होगी जो प्रकृति से, गोपनीय और / या अन्य जानकारी है, जिसे ऐसी जानकारी का आपूर्तिकर्ता गोपनीय के रूप में दावा करता है। ऐसी जानकारी के लिए जिसे प्रकृति से गोपनीय होने का दावा किया जाता है या जिस जानकारी पर अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया जाता है, सूचना के आपूर्तिकर्ता को प्रदान की गई जानकारी के साथ एक अच्छा कारण विवरण प्रदान करना आवश्यक है कि ऐसी जानकारी का खुलासा क्यों नहीं किया जा सकता है।

40. हितबद्धपक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना के अगोपनीय अंश को अनिवार्य रूप से गोपनीय अंश की अनुकृति होना चाहिए जिसमें ''गोपनीय सूचना" अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (जहां सूचीबद्ध करना संभव न हो) होनी चाहिए और ऐसी सूचना को जिस सूचना के गोपनीय होने का दावा किया गया है, उस पर निर्भर रहते हुए उचित और पर्याप्त रूप से सारांशीकृत होना चाहिए।

41. अगोपनीयसारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए जिससे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की पर्याप्त तर्कसंगत समझ बन सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय आधार पर सूचना देने वाला पक्षकार इंगित कर सकता है कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के स्तर तक एडी नियमावली, 1995 के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसे कारणों को पर्याप्त और पूर्ण रूप से स्पष्ट करने वाला एक विवरण प्रस्तुत कर सकता है कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।

42. इच्छुक पक्ष इस जांच शुरूआत अधिसूचना के पैराग्राफ 34 में दर्शाए गए आवेदन के गैर-गोपनीय संस्करण के संचलन की तारीख से 7 दिनों के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।

43. सार्थक अगोपनीय अंश के बिना किया गया कोई अनुरोध या एडी नियमावली, 1995 के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार गोपनीय दावे संबंधी किसी अनुरोध को पर्याप्त और पूरे कारणों के विवरण के बिना प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

44. प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना की प्रकृति की जांच करने पर गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। यदि प्राधिकरण संतुष्ट है कि गोपनीयता के लिए अनुरोध नहीं आवश्यक है या यदि जानकारी का आपूर्तिकर्ता या तो जानकारी को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या सारांश रूप में इसके प्रकटीकरण को अधिकृत करने के लिए तैयार नहीं है तो वह ऐसी जानकारी की अवहेलना कर सकता है।

45. प्रदान की गई जानकारी की गोपनीयता की आवश्यकता को संतुष्ट होने और स्वीकार करने पर प्राधिकारी ऐसी जानकारी प्रदान करने वाले पक्ष के विशिष्ट प्राधिकरण के बिना किसी भी पक्ष को इसका खुलासा नहीं करेगा।

46. पंजीकृत इच्छुक दलों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी जिसमें उन सभी को अनुरोध किया जाएगा कि वे अपनी प्रस्तुतियों के गैर-गोपनीय संस्करण और अन्य जानकारी को अन्य सभी इच्छुक पक्षों को ईमेल करें।

<u>ढ. असहयोग</u>

47. यदि कोई इच्छुक पक्ष इस प्रारंभिक अधिसूचना में प्राधिकरण द्वारा निर्धारित समय के भीतर या उचित अवधि के भीतर या अन्यथा आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं करता है, या बाद में अलग-अलग संचार के माध्यम से प्रदान की गई समय अवधि में आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं करता है, या जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डालता है तो प्राधिकरण ऐसे इच्छुक पक्ष को गैर-सहयोगी घोषित कर सकता है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्षों को रिकॉर्ड कर सकता है और केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकता है। जैसा कि यह उचित लगता है।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2023

Case No. AD (SSR) (07/2023)

Subject: Initiation of sunset review investigation concerning imports of "Aluminium Alloy Road Wheel" originating in or exported from China PR.

F. No. 07/13/2023-DGTR –Kosei Minda Aluminium Company Private Limited, Maxion Wheels Aluminium India Private Limited, Minda Kosei Aluminium Wheel Private Limited and M/s Steel Strips Wheels Limited (hereinafter referred to as the 'applicants') have filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the 'Authority'), on behalf of domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred as the 'Act') and the Customs Tariff (Identification, Assessment, and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the 'Rules'), seeking initiation of second sunset review investigation for continued imposition of anti-dumping duty levied on imports of "aluminium alloy road wheel" (hereinafter referred to as the 'subject goods'), originating in or exported from China PR, Korea RP and Thailand.

2. In terms of Section 9A(5) of the Act, the anti-dumping duties imposed shall, unless revoked earlier, cease to have an effect on the expiry of five years from the date of such imposition and the Authority is required to review the need for the continued imposition of the anti-dumping duty and to assess whether the expiry of the duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

A. <u>Background</u>

3. The original investigation concerning imports of the subject goods from China PR, Korea RP and Thailand was initiated by the Authority vide Notification No.14/7/2012-DGAD dated 10.12.2012. Post investigation, the Authority issued the Final Findings via Notification No. 14/7/2012-DGAD dated 09.06.2014, recommending the imposition of definitive anti-dumping duty.

4. On the basis of the said recommendation, a definitive anti-dumping duty was imposed by the Central Government vide Customs Notification No.21/2015- Customs (ADD) dated 22.05.2015 on the imports of the subject goods, originating in or exported from China PR, Korea RP and Thailand.

5. Prior to the expiry of the anti-dumping duty in force, the Authority initiated a sunset review investigation vide Notification No. 7/31/2018-DGTR dated 10.08.2018 and recommended continuation of the anti-dumping duty vide Final Findings dated 29.03.2019 and the same was subsequently imposed by the Central Government and the duty was continued via Notification No.17/2019 dated 09.04.2019.

6. Thereafter, the Authority initiated a mid-term review of the anti-dumping duty via Notification No.7/12/2021-DGTR dated 01.09.2021 and pursuantly recommended the enhancement of anti-dumping duty levied upon certain exporters vide Final Findings dated 30.08.2022. The recommendations were accepted by the Central Government vide Customs Notification No.30/2022- Customs (ADD) dated 28.11.2022. The aforesaid duties are presently in force till 08.04.2024.

B. <u>Subject Country</u>

7. The applicants have filed an application seeking for continued imposition of anti-dumping duties against imports of the subject goods from China PR, Korea RP and Thailand. However, there was insufficient *prima facie* evidence in the application regarding likelihood of recurrence or continuation of dumping and injury to the domestic industry in the event of cessation or revocation of duties in force in relation to goods being imported from Korea RP and Thailand.

8. Therefore, the subject country for the present investigation is China PR. (hereinafter referred to as the "subject country").

C. Product under Consideration

9. The product under consideration is the same as in the original investigation i.e., "aluminium alloy road wheel". The product defined under the original investigation was as follows-

"Cast Aluminium Alloy Wheels or Aluminium Alloy Road Wheels ("ARW") used in Motor Vehicles whether or not attached with accessories, of a size in diameter ranging from 12 inches to 24 inches."

10. The present investigation being a sunset review investigation, the scope of the product under consideration remains the same as defined in the previously conducted investigations.

11. The product under consideration is classified under Chapter 87 of the Customs Tariff Act, 1975, under customs sub-heading No. 8708.70 under the description "Road wheels and parts and accessories thereof". As claimed by the domestic industry, the subject goods are also imported under different customs classifications such as 87087000, 87082900, 87089900, 87149290, 87149990, 87089400 etc. However, the customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

12. The parties to the present investigation may provide their comments on the PUC and propose PCNs, if any, within 15 days of circulation of the non-confidential version of the documents filed before the Authority as indicated in paragraph 34 of this initiation notification.

D. Like Article

13. The applicants have submitted that there are no significant differences in the subject goods produced by the applicant and exported from the subject country and both are like articles. The product produced by the applicants and imported from the subject country are comparable in terms of essential product characteristics such as physical and chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & usage, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers can use and have been using the two interchangeably. The two are technically and commercially substitutable, and hence, should be treated as 'like article' under the Rules. The present application is for review to determine the need for continued imposition of the original duty, and since the product under consideration for the present investigation and the original investigation are one and the same, it is *prima facie* considered that the subject goods produced by the domestic industry are "like article" to the subject goods imported from the subject country.

E. Domestic Industry & Standing

14. The application for the sunset review investigation has been filed by Kosei Minda Aluminium Company Private Limited, Maxion Wheels Aluminium India Private Limited, Minda Kosei Aluminium Wheel Private Limited and Steel Strips Wheels Limited (the applicants) who are the significant producers of the product under consideration. The Authority notes that the applicants hold majority share in total domestic production and have certified that they have not imported the subject goods during the period of investigation.

15. Maxion Wheels Aluminium India Limited is related to a producer in China, namely, Dongfeng Maxion Wheels Co Ltd. The applicants have submitted that the related entity in China has not exported to India. The applicants other than those mentioned above are not related to any exporters or importers of subject goods in India.

16. In view of the above, the applicants constitute 'domestic industry' within the meaning of Rule 2(b) and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3).

F. Period of Investigation

17. The period of investigation (POI) for the present sunset review investigation is April 2022 to March 2023 (12 months). Further, the injury investigation period for the investigation is 2019-20, 2020-21, 2021-22 and the period of investigation.

G. Procedure

18. The sunset review investigation will cover all aspects of the final findings published vide Final Findings No. 7/31/2018-DGTR Dated 29.03.2019, recommending the continuation of anti-dumping duty on the imports of subject goods originating in or exported from the subject country.

19. The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, and 20 of the Rules shall be *mutatis mutandis* applicable in this review.

H. Likelihood of Continuation or Recurrence of Dumping

Normal Value for China PR

20. The consistent practice of the Authority has been to treat China PR as a non-market economy, unless the producers from China PR demonstrate that market economy conditions prevail in the industry with regard to the production and sales of the subject goods in accordance with Para 7 of Annexure-I to the Anti-Dumping Rules,1995.

21. Therefore, for the purpose of initiation of the present sunset review investigation, the normal value has been constructed based on the estimates of the cost of production of the applicants duly adjusted with selling, general and administrative expenses, along with a reasonable profit margin.

Export Price

22. The export price of the subject goods from the subject country has been estimated by considering transactionwise import data. Price adjustments have been made on account of port expenses, inland freight, ocean freight, marine insurance, bank commission & credit cost to arrive at the net export price.

Dumping Margin

23. The normal value and the export price have been compared at the ex-factory level, which *prima facie* establishes that the dumping margin is above the *de minimis* level with respect to the subject goods imported from China PR. However, since the present investigation is a sunset review, the Authority is required to examine whether cessation of existing duties is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

I. Likelihood vis-a-vis Injury and Causal Link

24. The quantity of imports of the subject goods from the subject country has declined. However, the present investigation being an SSR investigation, the Authority is required to examine whether the cessation or revocation of the duty in force would lead to a likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury.

25. The applicants have claimed that while the domestic industry has not suffered continued injury as on date, but the producers in the subject country hold excessive capacities which are likely to be used to export the subject goods to India in case of expiry of the anti-dumping duty. The applicants have further submitted that the producers in subject country have also lost the access to export markets due to the imposition of trade remedial measures on imports of subject goods in Argentina, the Eurasian Economic Union and the European Union. Hence the cessation & non-continuation of anti-dumping duty will likely result in injury to the domestic industry.

26. Furthermore, the applicants have claimed the likelihood of injury based on factors such as the positive dumping and injury margins for China, the history of dumping, capacities available in the subject country and capacity expansion, the lack of domestic demand in the subject county, and the likely impact of recurrence of dumping on the domestic industry in the event of cessation of duties. There is *prima facie* evidence regarding the likelihood of dumping and injury to the domestic industry in the event of cessation of anti-dumping duty in respect of China PR.

27. However, there was insufficient *prima facie* evidence in the application regarding likelihood of recurrence or continuation of dumping and injury to the domestic industry in the event of cessation or revocation of duties in force in relation to goods being imported from Korea RP and Thailand.

J. Initiation of Sunset Review Investigation

28. On the basis of the duly substantiated application by the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of *prima facie* evidence submitted by the applicants substantiating the likelihood of dumping and consequent injury to the domestic industry in respect of China PR, and in accordance with Section 9A(5) of the Act, read with Rule 23(1B) of the Rules, the Authority hereby initiates present sunset review investigation to review to examine whether the expiry of existing anti-dumping duties against China PR is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and consequent injury to the domestic industry.

K. Submission of Information

29. All communication should be sent to the Designated Authority via email at email addresses <u>dd11-</u> <u>dgtr@gov.in</u> and <u>ddl6-dgtr@gov.in</u> with a copy to <u>adg14-dgtr@gov.in</u> and <u>adv13-dgtr@gov.in</u>. It must be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.

30. The known producers/exporters in the subject country, the government of the subject country through its embassy in India, and the importers and users in India who are known to be associated with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in this initiation notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority.

31. Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limits mentioned in this initiation notification.

32. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.

33. Interested parties are further directed to regularly visit the official website of the Directorate General of Trade Remedies (<u>https://www.dgtr.gov.in/</u>) to stay updated and apprised with the information as well as further processes related to the investigation.

L. <u>Time Limit</u>

34. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at email address <u>dd11-dgtr@gov.in</u> and <u>dd16-dgtr@gov.in</u> with a copy to <u>adg14-dgtr@gov.in</u> and <u>adv13-dgtr@gov.in</u> within 30 days from the date on which the non-confidential version of the documents filed by the domestic industry would be circulated by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country as per Rule 6(4) of the Rules. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the Rules.

35. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification.

36. Where an interested party seeks additional time for filing of submissions, it must demonstrate sufficient cause for such extension in terms of Rule 6(4) of the AD Rules, 1995 and such request must come within the time stipulated in this notification.

M. Submission of Information on Confidential Basis

37. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, such party is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard.

38. Such submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission that has been made to the Authority without such markings shall be treated as "non-confidential" information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.

39. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential, and/or other information, which the supplier of such information claims as confidential. For the information which is claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

40. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.

41. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 7 of the Rules, 1995, and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

42. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality claimed by the domestic industry within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents as indicated in paragraph 34 of this initiation notification.

43. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

44. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

45. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorisation of the party providing such information.

46. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties.

N. Non-Cooperation

47. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

ANANT SWARUP, Designated Authority